

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 1981/वैशाख 18, 1903
No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 1981/VAISAKHA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1981

का. आ. 347(अ).—केंद्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 24 जनवरी, 1981 के पृष्ठ सं. 159-161 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 51 (अ) तारीख 24 जनवरी, 1981 में निम्नलिखित परिवर्धन करती है।

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“57 ओ.पी. धींगरा, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, बी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन
कं. लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हाउस, बालचन्द हीराचन्द मार्ग, मुम्बई।”

[सं. एम-24013/2/76-बख्यूसी]

गिरिजा ईश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 1981

S.O. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby makes the following addition in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 51(E) dated the 24th January, 1981 published at pages 161-162 of the Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated January 24, 1981.

In the said notification, the following item shall be added namely :—

“57. O. P. Dhingra,
Chief Personnel Manager,
The Hindustan Construction Co. Ltd.,
Construction House,
Walchand Hirachand Marg,
Bombay.”

[No. S-24013/2/76-WC]
GIRIJA ESWARAN, Jt. Secy.